



शिक्षक दिवस पर जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मु.मंत्री ने कई शिक्षकों को सम्मान पत्र भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। मु.मंत्री ने इस मौके पर नदबई निवासी अपने शिक्षक शंकरलाल शर्मा के भी पर चुये तथा शॉल अढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र भेंट करके उनका अभिनन्दन किया। मु.मंत्री के साथ इस मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहे।

राजस्थान के विद्यालयों के क्रमोन्नयन में कमी नहीं होगी- भजनलाल शर्मा

राज्य सरकार के 55 हजार 800 मेधावी विद्यार्थियों को टैब्लेट वितरित किया

- जयपुर के बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ।
- मुख्यमंत्री ने कहा, गुरु-शिष्य परम्परा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारतीय परम्परा में गुरु का स्थान सर्वोपरि रहा है।

जयपुर, 5 सितंबर (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, वे नव पीढ़ी में चरित्र-निर्माण की मजबूत नींव डाल कर सक्षम नागरिक रूपी भवन का निर्माण कर रहे हैं। उनकी शिक्षा-ज्ञान से ही मनुष्य विचारशील और करुणा व सहानुभूति के भाव से समृद्ध होता है और एक प्रगतिशील व समावेशी समाज बनाता है। मुख्यमंत्री गुरुवार को बिड़ला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोपरि रहा है। शिक्षक प्रतिबद्धता और परिश्रम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं और समर्पण एवं निष्ठा से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इसलिए विद्यालय केवल अच्छे भवन, महंगे उपकरण या सुविधाओं से नहीं बल्कि शिक्षकों के अमूल्य ज्ञान से बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह

दिवस उनके असाधारण व्यक्तित्व एवं शिक्षा में उनके अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुरु-शिष्य संबंध की समृद्ध परंपरा को पुनर्जीवित करने के क्रम में राज्य सरकार विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी से नवाजे जाने की परंपरा शुरू करने जा रही है।

समारोह में मुख्यमंत्री शर्मा अपने शिक्षक शंकरलाल शर्मा को देखकर भावुक हो गए। वे मंच से उतरे, गुरु के चरण स्पर्श किए, उन्हें अपने निकट बैठाया एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने शिष्यों की सफलता के लिए अथक परिश्रम करते हैं। वे एक कुम्हार की तरह होते हैं जो मिट्टी को अपने अनुभव से गुंधता

है और एक सुंदर प्रतिमा बनाता है। उनके समर्पण का कोई मोल नहीं है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्त करने के अनुभव भी मंच से साझा किए।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्ष, लैब, पुस्तकालय, शौचालयों के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपये और 750 स्कूलों को बिल्डिंग को मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

साथ ही, हम स्कूल और कॉलेज में बिजनेस इन्वैशेन प्रोग्राम के माध्यम से 1 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं। आगामी दो वर्षों में राज्य सरकार 20 आईटीआई और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोलेगी।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेशभर में शिक्षकों द्वारा बेहतरीन काम किया जा रहा है। इस शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों के अच्छे परीक्षा परिणाम भी आए हैं। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेशभर में 7 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के क्रम में शिक्षा विभाग ने अकेले ही 2 करोड़ 50 लाख का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

समारोह में मुख्यमंत्री ने 11 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए और शिक्षक सम्मान पुस्तिका एवं शिवाया का विमोचन भी किया। साथ ही, प्रदेशभर में 55 हजार 800 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा शाला स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

कार्यक्रम में उप-मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द्र बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत शिक्षक भी समारोह से जुड़े।

उदयपुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
में आरोपी बनाया है। वह कन्हैयालाल की दुकान से कुछ दूरी पर स्थित चूड़ी की दुकान में काम करता है। यदि वह मौके पर रेकी करने जाता तो वहां लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग होती। इसके अलावा, कॉल डिटेल के अनुसार, अपीलार्थी ने किसी को फोन नहीं किया था, बल्कि उसके पास फोन आया था और वह नंबर भी उसके पास सेव नहीं था। इसके अलावा, घटना के एक दिन पहले टी स्टॉल पर बैठकर घड़यंत्र करना भी साबित नहीं है। इसका विरोध करते हुए एन.आई.ए. की ओर से कहा गया कि अपीलार्थी ने घटना के दिन मुख्य आरोपी को फोन कर कन्हैयालाल के दुकान पर होने की बात बताई थी। इसके बाद मुख्य आरोपियों ने आकर घटना को अंजाम दिया था। यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या कर उसका चींटियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया था। मामले में एन.आई.ए. ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ एन.आई.ए. कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था।

पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है। जबकि मामले में पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा के निर्माण में केवल 1.5 करोड़ रुपये खर्च किया गया, जबकि, राज्य के कोष से इस काम के लिए "236 करोड़ रुपए" लिए गए थे।

पुतिन ने यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता में भारत की भूमिका को अहम बताया

मास्को, 5 सितंबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से साथ जारी युद्ध के बीच मध्यस्थता को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि भारत दोनों देशों के बीच बातचीत में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने भारत के अलावा, चीन और ब्राजील का भी नाम लिया। पुतिन ने कहा कि भारत, चीन, और ब्राजील जैसे देश रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करा सकते हैं। उन्होंने इन देशों को वैश्विक मंच पर स्थिरता और शांति के समर्थक बताते हुए कहा कि उनके माध्यम से संघर्ष को सुलझाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर तीन देशों... भारत, चीन और

- पुतिन ने भारत के अलावा चीन और ब्राजील का भी नाम लिया और कहा, वे देश वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता के प्रबल प्रवर्तक हैं।
- पुतिन ने कहा, वे यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर तीन देशों.. भारत, चीन और ब्राजील के संपर्क में हैं और इसे सुलझाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी 'तास' ने पुतिन के हवाले से अपनी खबर में कहा, "हम अयोग्य मित्रों और साझेदारों का सम्मान करते हैं। हम... मुख्य रूप से चीन, ब्राजील और भारत, इस संघर्ष से जुड़े सभी मुद्दों को ईमानदारी से सुलझाना चाहते हैं।"

ब्राजील के संपर्क में हैं और इसे सुलझाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी 'तास' ने पुतिन के हवाले से अपनी खबर में कहा, "हम

सुप्रीम कोर्ट ने मु.मंत्री के जरीवाल की रिहाई के संकेत दिये

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को गिरफ्तारी सिर्फ जानबूझकर उन्हें जेल में रखने के लिए की गई है

नयी दिल्ली, 5 सितंबर (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित सी.बी.आई. के मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग के साथ ही गिरफ्तारी (सीबीआई की ओर से) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मु.मंत्री केजरीवाल की रिहाई के स्पष्ट संकेत दिये हैं।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ की बैच ने याचिकाकर्ता केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू की चर्चाएँ दलीलों ने सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख का फैसला किया।

बैंच के समक्ष सुनवाई के दौरान राजु ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दिए जाने की दलीलों का पुनरावलोकन करते हुए कहा कि अधिनियम अदालत को दरकिनार करने की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है।

इस पर केजरीवाल पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत

- वकील सिंघवी ने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के आदेश से पहले ही केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को इस मामले में सी.बी.आई. की ओर से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया।
- सी.बी.आई. की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू ने सिंघवी की दलीलों का पुनरावलोकन करते हुए कहा कि केजरीवाल को अगर कोई भी राहत दी जाती है तो यह हाई कोर्ट के सम्मान पर प्रतिकूल असर डालेगी।

आरोपी को नोटिस जारी करने के संबंध में वर्तमान याचिका में उठाया गए आरोपों पर हिरासत के दौरान बहस की गई थी। इसके बाद विशेष अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। इसलिए याचिकाकर्ता को फिर से उसी मुद्दे पर वहां बहस करने के लिए वापस भेजना न्यायोचित नहीं होगा।

बैंच के समक्ष गुरुवार को सिंघवी ने कहा, शायद यह एकमात्र ऐसा मामला है, जिसमें मुझे (केजरीवाल) इस अदालत से सख्त घन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दो रिहाई आदेश मिले, जिसमें धारा 45 का प्रतिबंध है। उच्च न्यायालय से एक और विस्तृत आदेश मिला। फिर सीबीआई द्वारा इस पहले से तय गिरफ्तारी हुई।

श्रीशं अदालत को सिंघवी ने यह भी बताया कि केजरीवाल का नाम 2022

में दर्ज मुकदमे में नहीं था और उन्हें इस साल जून में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, तीन अदालती आदेश मेरे पक्ष में हैं। यह एक तय गिरफ्तारी है, ताकि उन्हें जेल में रखा जा सके।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कहा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सबाल ही नहीं है, क्योंकि लावों दस्तावेज हैं, जिनमें से कई डिजिटल हैं। उनके मुक्किलाल न्यायिक हिरासत में रहते हुए गवाहों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और इस मामले में पंच आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं।

उन्होंने दिल्ली अबकारी नीति मामले से संबंधित अन्य आरोपियों - दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और भारत

राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान पार्षद के कविता के जमानत आदेशों का हवाला दिया। श्रीशं अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।

सिंघवी ने आगे कहा कि सी.आर.पी.सी. की धारा 41ए को 2010 में गिरफ्तारियों को विनियमित करने के लिए पेश किया गया था और इसका उद्देश्य ममानानी गिरफ्तारियों को रोकना और यह सुनिश्चित करना था कि कानून प्रवर्तन अधिकारी बिना किसी वैध आधार के किसी को गिरफ्तार न कर सकें।

दूसरी ओर राजु ने केजरीवाल की याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें पहले सत्र न्यायालय में गृहार्र लाने के सोधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने कहा, यह मेरी प्रारंभिक आपत्ति है। गुण-दोष के आधार पर अधिनस्थ अदालत को पहले इस पर विचार करना चाहिए था।

उच्च न्यायालय को गुण-दोष देखने के लिए बनाया गया था और यह केवल असाधारण मामलों में ही हो सकता है। सामान्य मामलों में पहले सत्र न्यायालय का रुख करना पड़ता है। वे (केजरीवाल) यहां आए और फिर उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया और फिर वे फिर से शीर्ष अदालत आए

'सेबी चेयरमैन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अनेक फोन-कॉल आते हैं तथा वे पृष्ठते हैं, "मार्केट रेग्युलेटर की स्थिति अब कैसी है? क्या हम भारत के रिस्कगैरिटीज मार्केट पर भरोसा कर सकते हैं? मार्केट रेग्युलेटर की ईमानदारी को लेकर क्या चल रहा है?"

चक्रवर्ती ने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस देश के स्टॉक मार्केट को बहुत मजबूत एवं विशाल रूप में देखना चाहती है।

उन्होंने कहा, "हम अपने स्टॉक मार्केट में विदेशी पूंजी को देखना चाहते हैं। यह देश के लिए अत्यावश्यक है। यह एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है। मूल सबाल यह है कि यहाँ किसे बचाया जा रहा है? माथवी पुरी बुच के मामले में ई.डी. खामोश क्यों हैं?"

चक्रवर्ती ने जोर देते हुए कहा, "यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर विदेशी निवेशक निश्चित हैं तथा मार्केट रेग्युलेटर के अध्यक्ष पर लगे आरोपों की श्रृंखला के कारण, वे भारत के स्टॉक मार्केट की ईमानदारी के बारे में सन्देहों से भरे हुए हैं, तो क्या जाँच कराया जाना राष्ट्र-हित में नहीं होगा, जिससे इस मामले की जड़ तक पहुँचा जा सके तथा उसका समाधान किया जा सके।

पुराने एम.आर.ई.सी. ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
भी तरह का आदेश नहीं दिया जा रहा है। वही यदि भविष्य में यहाँ कोई निर्माण होता है तो अदालत के सामने इनकी जानकारी देने पर उस पर विचार किया जा सकता है।

राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वभरित प्रसंजान पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यदि मामले में अब तक कोई निर्देश दिए गए हैं तो उन्हें तत्काल रिस्टर किया जाता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एकलपीठ ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर गत 15 मई को स्वभरेणा से प्रसंजान लिया था। समाचार में गांधी नगर के पुराने एम.आर.ई.सी. परिसर में मास्टर प्लान के विपरीत बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के प्रस्ताव की जानकारी दी गई थी। इससे हरित क्षेत्र के प्रभावित होने और आसपास मोर पक्षी होने की बात भी कही थी। अदालत ने कहा कि एकलपीठ का स्वभरित प्रसंजान आदेश काफी व्यापक स्तर का है। इसके अलावा अब तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया, जिसे अंतरिम आदेश देने का आधार बनाया जा सके। समाचार में कुछ लोगों के कहने से आरोप लगाया गया है, जबकि इन आरोपों को किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित नहीं किया गया है।

दूसरी ओर महाधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान में पुराने एम.आर.ई.सी. परिसर में बहुमंजिला बिल्डिंग निर्माण को लेकर कोई स्वीकृत योजना नहीं है। वही यदि भविष्य में यहाँ सरकारी अधिकारियों के आवास के लिए कोई बहुमंजिला बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव बनाया जाएगा तो उसे विधि अनुसार और मास्टर प्लान के हिसाब से सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही बनाया जाएगा।

गौरतलब है कि एक समाचार पत्र में गत 14 मई को समाचार प्रकाशित किया गया था कि पुराने एम.आर.ई.सी. परिसर में 18 मंजिल के 6 टावर बनाने की योजना बनाई जा रही है, जो मास्टर प्लान के विपरीत है। इस समाचार पर एकलपीठ ने स्वभरेणा से प्रसंजान लेते हुए गांधीनगर सहित अन्य संबंधित जगह पर बहुमंजिला निर्माण पर यथा स्थिति के आदेश दिए हैं।

सिक्किम: सेना का वाहन खाई में गिरा, 4 शहीद

पाकयोंग (सिक्किम), 5 सितंबर। सिक्किम के पाकयोंग जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहाँ सेना के एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 4 जवान शहीद हो गए।

यह हादसा तब हुआ जब सेना का वाहन ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर यात्रा कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि षड्युक्त बंगाल के पेडोंग से सिक्किम के पञ्जलुक् जाते समय गुरुवार को सड़क दुर्घटना में कम से कम चार भारतीय सेना के जवानों की मौत हो गई।

यह दुर्घटना सिक्किम के पाकयोंग जिले में सिल्क स्ट्र पर हुई। अधिकारियों ने बताया कि वाहन सड़क से फिसलकर लगभग 700 से 800 फीट नीचे खाई में गिर गया।

बढ़ते ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के कारण होने वाली पत्थर फलडस की घटनाएँ तथा मल्ला गंधीर खतरा पैदा कर सकती हैं।